

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2168
01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

असम के चाय बागानों में एम्बुलेंस सेवाएँ

†2168. श्री गौरव गोगोई:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास असम के चाय बागानों में स्थित अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों में वर्तमान में तैनात एम्बुलेंस की संख्या संबंधी डेटा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य अधिकारियों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा हाल ही में किए गए क्षेत्रीय आकलनों से मिलने वाले संकेत के अनुसार इन एम्बुलेंस की संख्या का एक बड़ा भाग काम नहीं कर रहा है या उनमें आवश्यक चिकित्सा उपकरणों का अभाव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा संपूर्ण असम के चाय बागानों के अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों में कार्यात्मक और सुसज्जित एम्बुलेंस सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या केंद्र या राज्य सरकार चाय बागानों की स्वास्थ्य सुविधाओं में उपलब्ध एम्बुलेंस और चिकित्सा उपकरणों की नियमित संपरीक्षा या निरीक्षण करती है; और
- (ङ) यदि हाँ, तो ऐसी संपरीक्षा का ब्यौरा क्या है, साथ ही आवृत्ति, निष्कर्ष और इस संबंध में किए गए सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी, जिसमें आवश्यक संख्या में एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के प्रयास भी शामिल हैं, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आधार पर, उनकी जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

असम सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, असम राज्य के चाय बागानों के अस्पतालों में कुल 649 रोगी परिवहन वाहन (पीटीवी) तैनात किए गए हैं, जो चाय बागान क्षेत्रों, जहाँ पारंपरिक रूप से

चिकित्सा परिवहन की पहुँच सीमित है, में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए एक लक्षित कार्यकलाप का हिस्सा है। ये वाहन रेफरल परिवहन सुविधाओं में सुधार और चाय बागान श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए समय पर स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए गए हैं। चाय बागानों के अस्पतालों में तैनात सभी पीटीवी वर्तमान में बेहतर कार्यात्मक स्थिति में हैं।

(ग): मंत्रालय राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) द्वारा विधिवत सूचित राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके आपातकालीन पारिस्थितिकी में सुधार के लिए प्रत्येक वर्ष सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय ने राज्य के प्राधिकारियों से देश भर में आपातकालीन चिकित्सा अनुक्रिया सेवाओं को मानकीकृत करने हेतु एम्बुलेंस की खरीद और पंजीकरण के दौरान ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस-125) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है।

(घ) और (ङ): मंत्रालय एम्बुलेंस और उनके उपकरणों के आवधिक ऑडिट और मूल्यांकन के लिए एक सुदृढ़ ढाँचे का समर्थन करता है, जो परिचालन तत्परता और सेवा गुणवत्ता के उच्च मानकों को भी प्रोत्साहित करता है। चूँकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी, जिसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक संख्या में कार्यात्मक एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के प्रयास भी शामिल हैं ताकि ग्रामीण, अल्पसेवित और वंचित आबादी पर निरंतर ध्यान दिया जा सके, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। राज्य प्राधिकारियों द्वारा एम्बुलेंस के संचालन की प्रगति और निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी और निरीक्षण किया जाता है।
